5.

नगर निगम, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)
(आयोजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक :– एफ 13 ( ) उपा.आयो./जननि./2015/ 306 दिनांक– 27/7/2015

श्री पंकज भटनागर,
भू. सं. डी–100–ए, मीरा मार्ग,
बनीपार्क, जयपुर।

विषय :– भूखण्ड संख्या डी–100–ए, क्षेत्रफल 836.13 व.मी. (1000 वर्ग गज), मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर पर आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

महोदय,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 19.06.2015 प्रस्ताव (03) के संदर्भ में समिति द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन करने के निर्णय की अनुपालना में आवासीय (फ्लैट्स) भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित कर जारी किये जाते हैं।

1. उक्त स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 एवं संशोधित विनियम 2012 के तहत जारी की गई है।
2. भवन विनियम, 2010 के नियम 14.10 अनुसार उक्त स्वीकृति जारी दिनांक से सात वर्ष के लिए मान्य होगी।
3. उक्त स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है :–

(1)	(2)
सैट बैक (न्यूनतम)	भवन विनियम 2010 के संशोधित नियम 2012 के अनुसार
अग्र	9.14 मी.
साईड प्रथम	4.57 मी.
साईड द्वितीय	4.57 मी.
पीछे	4.57 मी.
ऊँचाई	15.00 मी.
मंजिल	बी+आशिंक स्टिल्ट व आशिंक भूतल+चार तल
बेसमेंट	प्रस्तावित
आच्छादन	सैटबैक क्षेत्र के अंदर
एफ.ए.आर	1.48

4. नगर निगम जयपुर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए जयपुर नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
5. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी। अनुमोदित मानचित्रों से भिन्न निर्माण करने पर अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जावेगा व किया गया या समस्त निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में गिना जावेगा।
6. भवन का उपयोग स्वीकृत उपयोग से भिन्न होने पर निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
7. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदन कर्ता को दोषी माना जायेगा। नगर निगम, जयपुर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत् कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।
8. विद्युत, नलकारी जल एवं मल निकास सेवायें हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
9. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाई जावेगी।
10. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाया जावेगा।
11. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत् जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है, उन बाबत् मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगें।

12. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
13. अग्नि शमन के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने स्तर पर भवन में मौके पर प्रदान करने होंगे।
14. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
15. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है आप द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर जयपुर नगर निगम बिना किसी सूचना के तोडने का हकदार होगा एवं तोडने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर जयपुर नगर निगम हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है एवं आप देने के लिए बाध्य रहेगें।
16. प्रार्थी अनुमोदित मानचित्रों व नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये लोगो की प्रति निर्माण स्थल पर बोर्ड पर चस्पा कर प्रदर्शित करेगा। साथ ही वास्तुविद्, भवन मालिक व ठेकेदार का नाम भी अंकित करेगा। यदि भवन निर्माण के समय मौके पर उक्त वर्णित प्रदर्शित (डिस्प्ले) नहीं है तो संबंधित जोन आयुक्त द्वारा निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से रूकवा दिया जावे।
17. भवन मालिक द्वारा भवन सिक्यूरिटी अग्नि सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) तैयार किया जावे।
18. भवन मालिक द्वारा भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयरटेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास बिल्डिंग का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास (Escape Plan) उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर का मोबाईल नम्बर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर व अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवायी जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूपसे किया जा सके।
19. भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) करवाया जावे।
20. प्रार्थी द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की सभी शर्तों की पालना की जावेगी।
21. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र कमांक एफ 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी। दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न है।

संलग्नः– भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल .... मानचित्र)

भवदीय

आयुक्त
नगर निगम, जयपुर

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ–
1. उपायुक्त, (सतर्कता) नगर निगम, जयपुर को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करे कि भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार हों।
2. उपायुक्त, (विद्याधर नगर जोन) नगर निगम, जयपुर को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करे कि भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार हों।

संलग्न :– भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल .... मानचित्र)

भवदीय

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

केवल ...... उपयोग हेतु स्वीकृत

SHEET NO. 01

Applicant's Copy

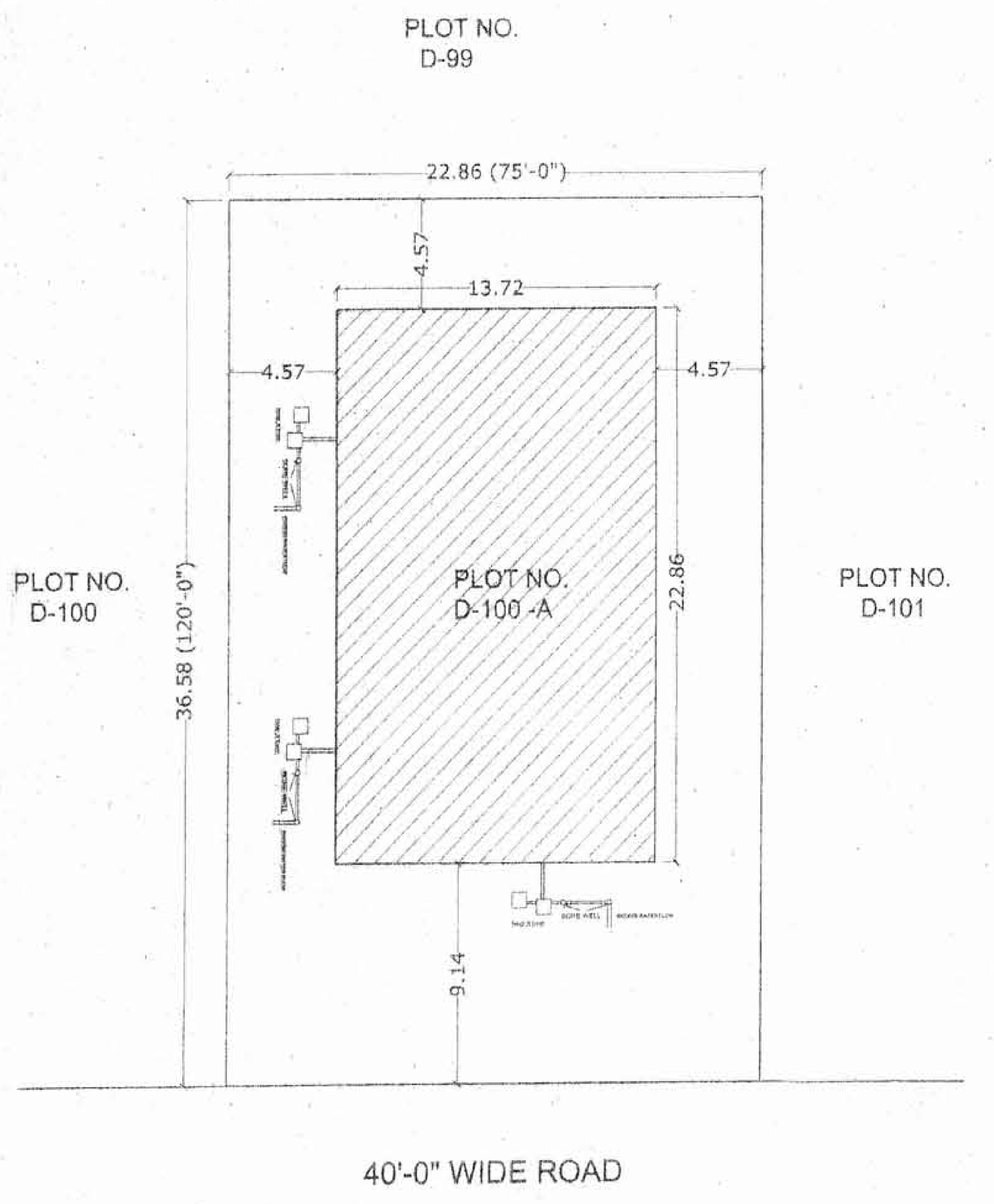

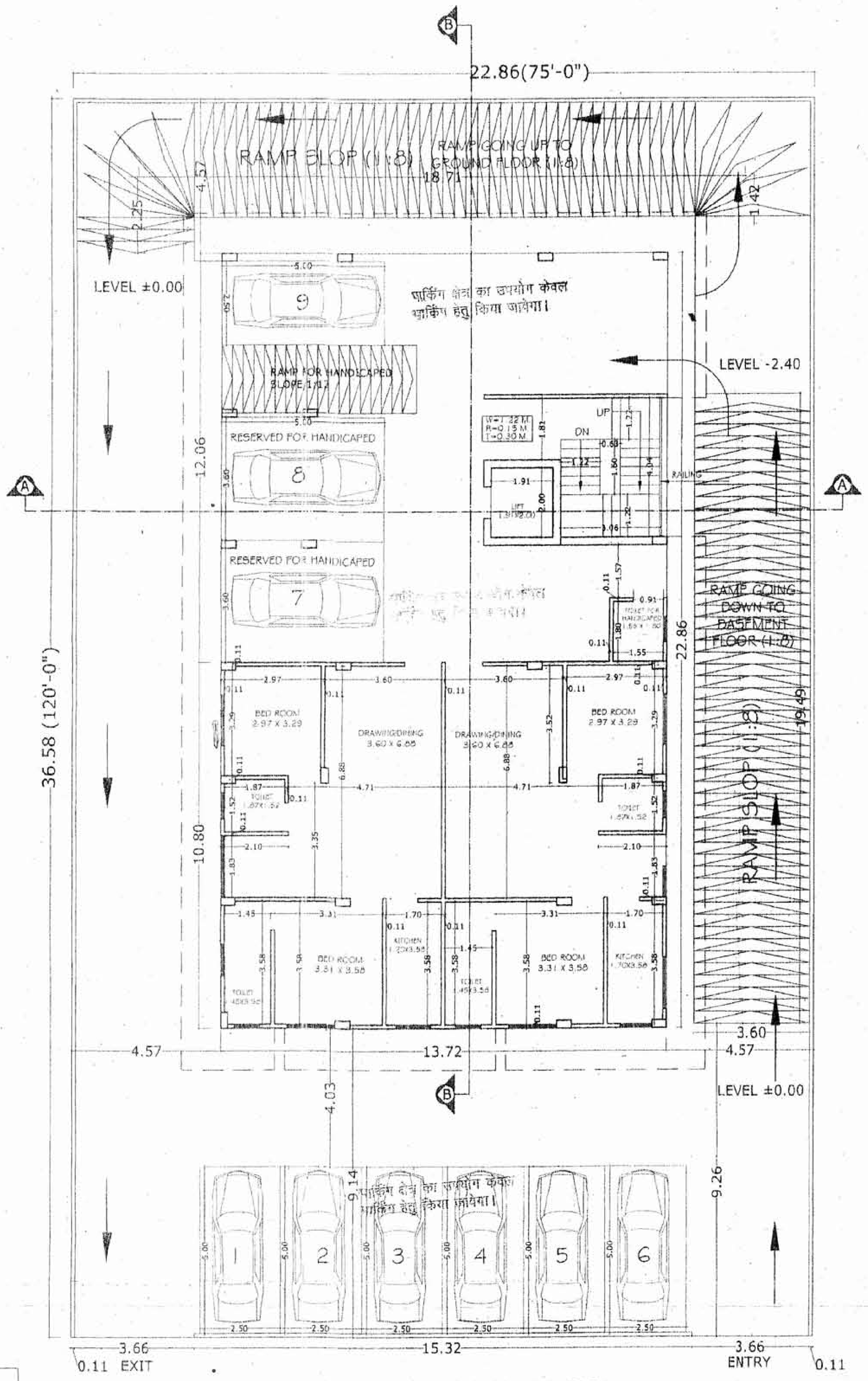

GROUND FLOOR PLAN

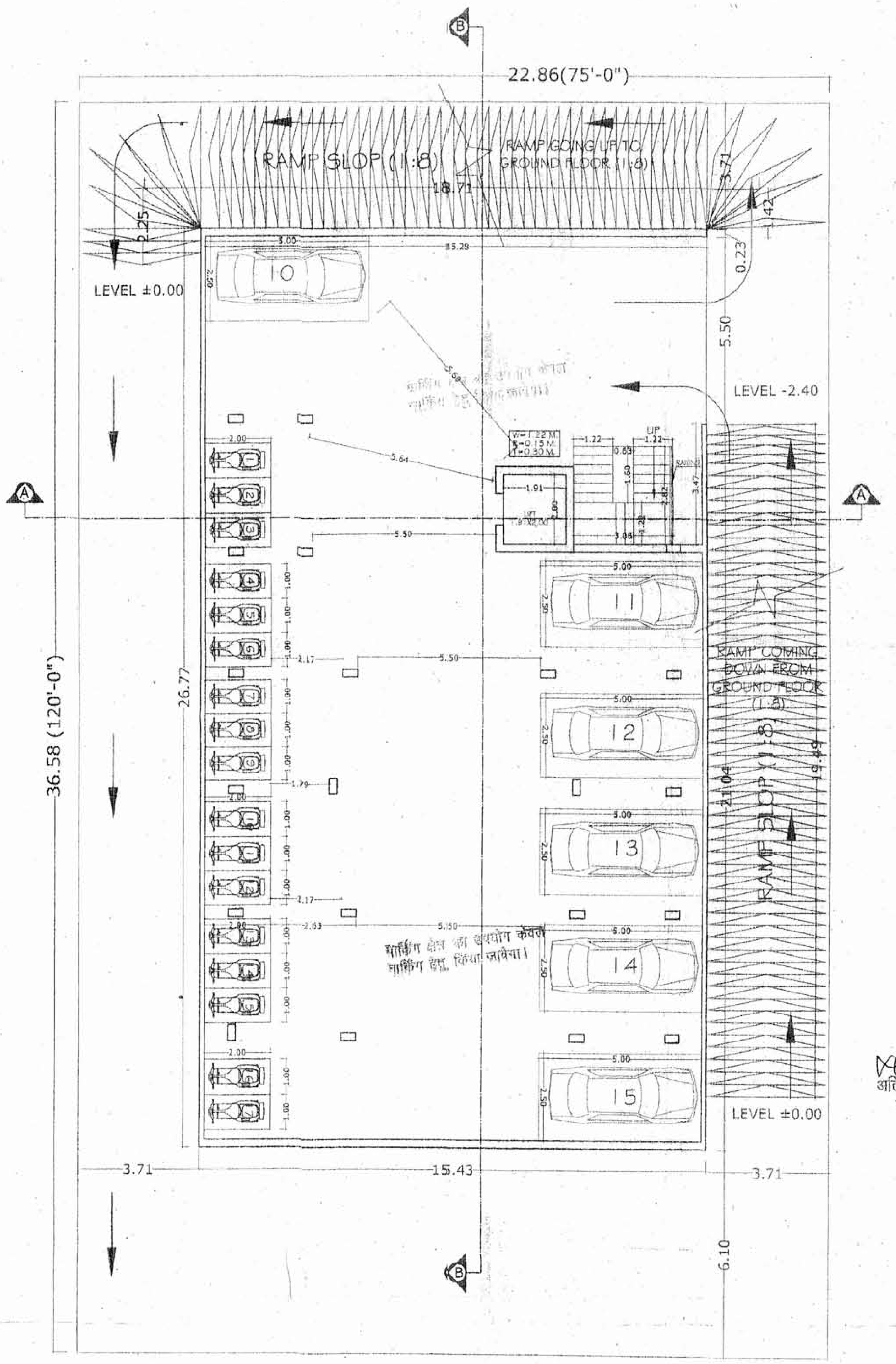

BASEMENT PLAN

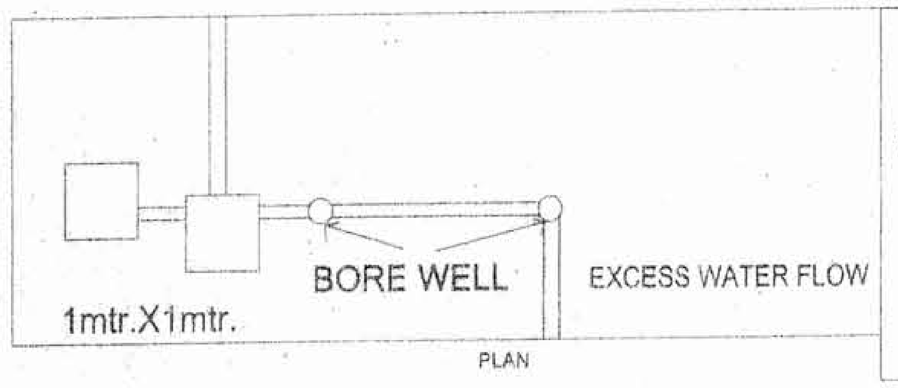

PLAN

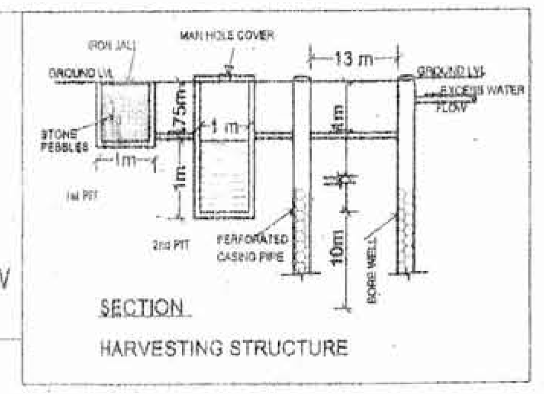

SECTION
HARVESTING STRUCTURE

PLOT AREA = 836.13 SQ.MT.
F.A.R. PERMISSIBLE = 1.33
F.A.R. PERMISSIBLE = 836.13X1.33
= 1112.052 SQ.MT.
MAX. F.A.R.= 836.13 X 2.25
= 1881.292 SQ.MT.
1.33 MAX. F.A.R.= 1235.814 - 1112.052
= 123.762 SQ.MT.

WATER TANK & MUMTY = 3.29 X 4.39 X 2 = 28.886 SQ.MT.
LIFT MACHINE ROOM = 4.39 X 2.37 = 10.404 SQ.MT.
= 28.886 + 10.404 = 39.29 SQ.MT.

PERMISSIBLE CORRIDOR = 1355.49 X 7% = 94.88 SQ.MT.
CORRIDOR PROVIDED = 6.52 X 2.41 X 4 = 62.852 SQ.MT.
= 2.37 X 1.81 X 4 = 17.158 SQ.MT.
= 62.852 + 17.158 = 80.01 SQ.MT.

PERMISSIBLE STORE = 1355.49 X 3% = 40.66 SQ.MT.
STORE PROVISED = 1.45 X 2.38 X 2 X 4 = 27.608 SQ.MT.
= 2.47 X 1.22 X 4 = 12.053 SQ.MT.
= 27.608 + 12.053
= 39.661 SQ.MT.

AREA CALCULATION TABLE:

S. NO.	FLOOR	NET BUILTUP AREA	F.A.R.	GROSS BUILTUP AREA
1	BASEMENT	413.061	0	595.63
2	GROUND FLOOR	313.64	151.729	403.249
3	FIRST FLOOR	317.12	300.939	403.251
4	SECOND FLOOR	317.12	300.939	403.251
5	THIRD FLOOR	317.12	300.939	403.251
6	FOURTH FLOOR	317.12	300.939	403.251
7	MUMTY	0	0	39.29
8	TOTAL	1995.176	1355.49	2651.173

F.A.R. = F.A.R.-CORRIDORS-STORE
= 1355.49-80.01-39.661
= 1235.814

$$F.A.R. = \frac{1235.814}{836.13} = 1.478$$

PARKING CALCULATIONS:-

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

$$\text{COMMERCIAL PARKING } \frac{\text{FAR ACHIEVED}}{75} = \frac{1235.814}{75} = 16.47 \text{ ECU}$$

+ 25% EXTRA VISITOR PARKING = 16.47X1.25 =20.58 ECU

TOTAL PARKING REQ. SAY 20.58 ECU

PARKING REQUIRED =
75 % OF E.C.U. = 15 CAR REQUIRED
25 % OF E.C.U. = 17 TWO WHEELER REQUIRED

PARKING PROVIDED IN BASEMENT =
CAR = 6 (6 E.C.U.)
TWO WHEELER = 17 (5.66 E.C.U.)

PARKING PROVIDED AT GROUND FLOOR =
CAR = 9 (9 E.C.U.)

TOTAL PARKING PROVIDED = 15+5.66= 20.66 E.C.U.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 19/06/2015

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

विद्युत सेवा, सफाई एवं जल, मल निकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों के अनुसार होगी।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावें।

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

अनुमोदित
यह मानचित्र पत्र क्र. 306
दि. 27/07/15 के द्वारा जारी किये गये।
सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

23/07/2015
अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

आयुक्त (आयोजना) व
सचिव (भ. अ. समिति)
जयपुर नगर निगम
जयपुर

DRAWING TITLE
PLANS

ADDRESS :-
PROPOSED APARTMENT AT
PLOT NO D-100 A, MEERA MARG, BANIPARK, JAIPUR, RAJASTHAN

ARCHITECT:-
KAPPRIS INNOVATION
VAISHALI NAGAR, JAIPUR
MOB- 09649905326, 09414305326

SCALE -1:100
NORTH

KAPIL MISTRY
Architect (B.Arch, M.C.A)
CA/2008/41822

OWNER
ARCHITECT

केवल ...आवासीय... उपयोग हेतु स्वीकृत

Applicant's Copy

SHEET NO. 02

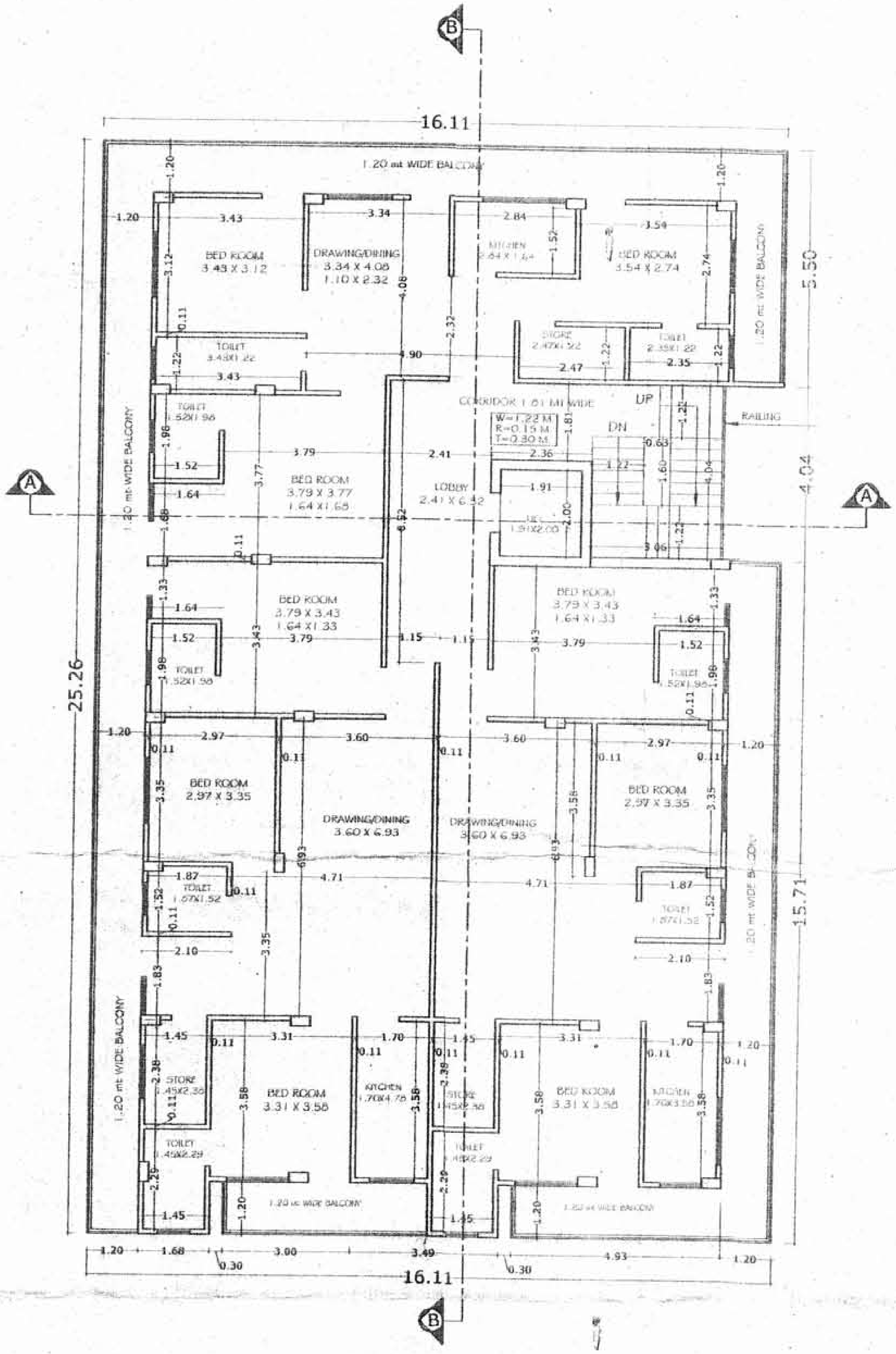

TYPICAL FLOOR PLAN
(FIRST TO FOURTH FLOOR)

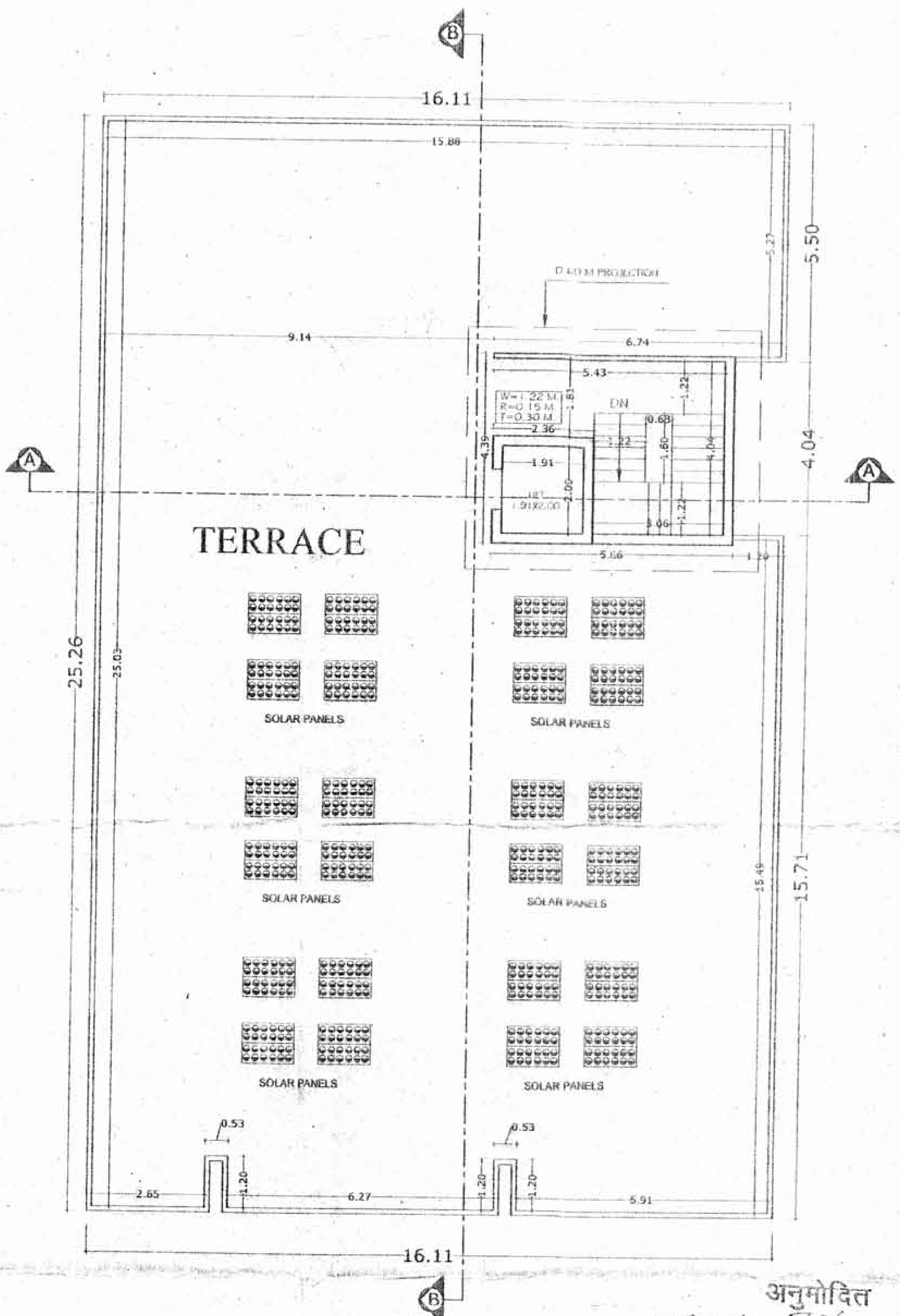

TERRACE FLOOR PLAN

अनुमोदित
यह मानचित्र पत्र क्रं ...306...
दि. 27/7/15 के द्वारा जारी किये गये।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. ......19/06/2015.........

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

शारीरिक रूप से व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावें।

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

DRAWING TITLE
PLANS

ADDRESS :-
PROPOSED APARTMENT AT
PLOT NO D-100 A, MEERA MARG, BANIPARK, JAIPUR, RAJASTHAN

ARCHITECT:-
KAPPRIS INNOVATION
VAISHALI NAGAR, JAIPUR
MOB- 09649905326, 09414306326

SCALE -1:100

NORTH

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

28/07/2015
अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

आयुक्त (आयोजना) व
सचिव (भ. आ. समिति)
जयपुर नगर निगम
जयपुर

KAPIL MISTRY
Architect (B.Arch., M.C.A.)
CA/2008/41822

OWNER

ARCHITECT

केवल ......आवासीय...... उपयोग हेतु स्वीकृत

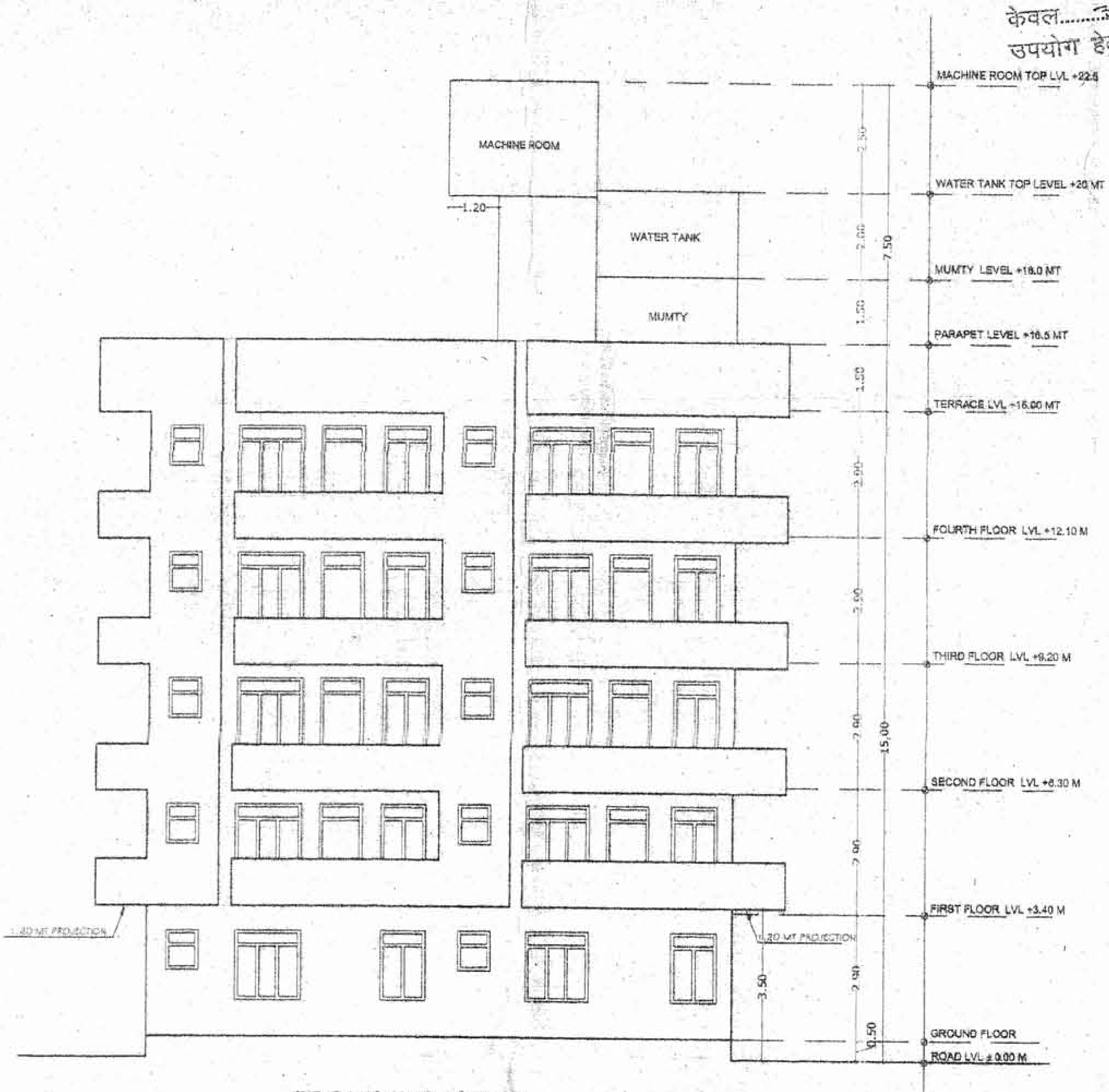

FRONT ELEVATION

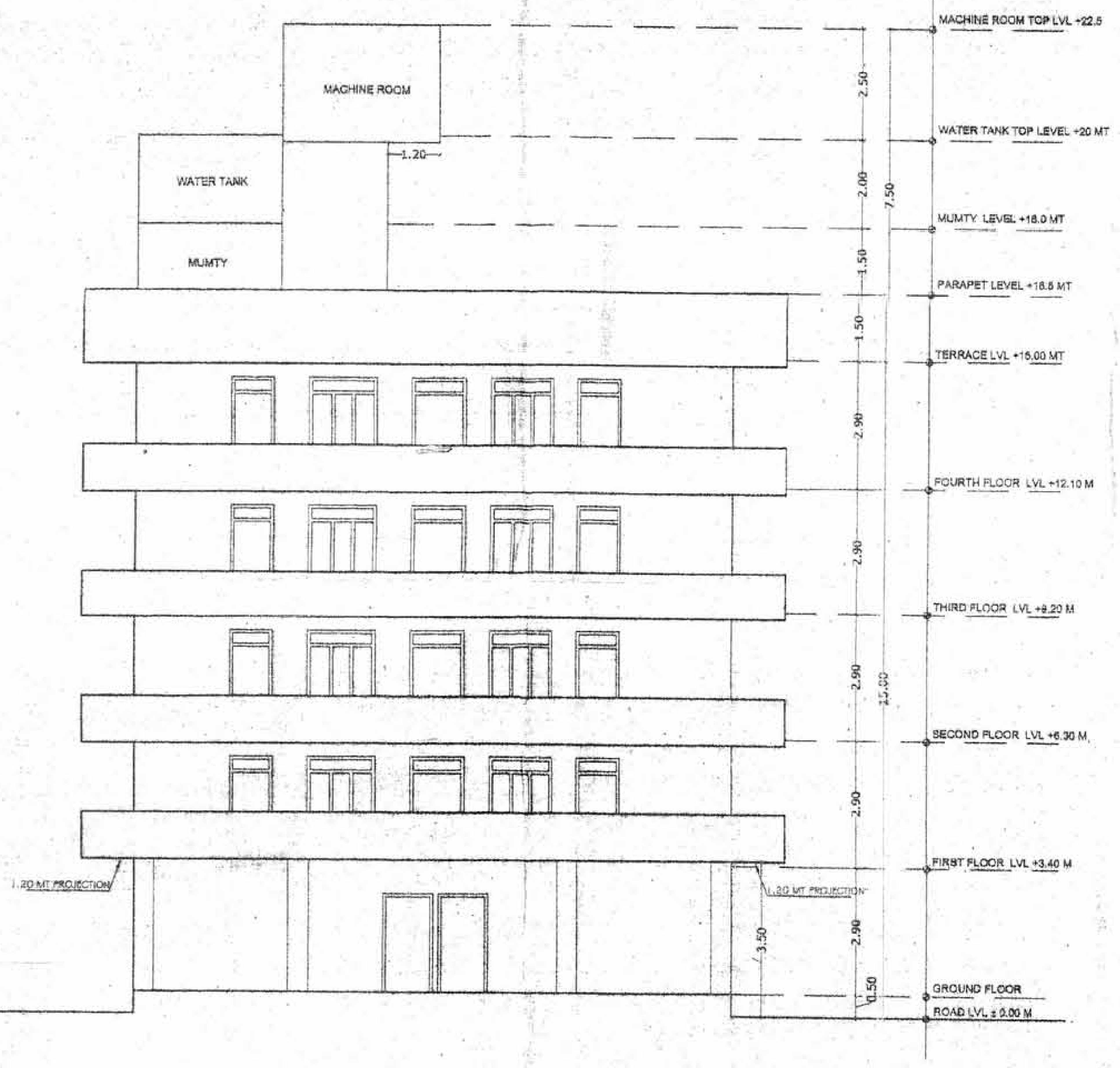

REAR SIDE ELEVATION

Applicant's Copy

SHEET NO. 03

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt........19/06/2015........

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

शारीरिक रूप से व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावें।

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्रं. 306

दि. 27/7/15 के द्वारा जारी किये गये।

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

23/07/2015
अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

आयुक्त (आयोजना) व
सचिव (भ. अ. समिति)
जयपुर नगर निगम
जयपुर

DRAWING TITLE
ELEVATIONS

ADDRESS :-
PROPOSED APARTMENT AT
PLOT NO D-100 A, MEERA MARG, BANIPARK, JAIPUR, RAJASTHAN

ARCHITECT:-
KAPPRIS INNOVATION
VAISHALI NAGAR, JAIPUR
MOB- 09649905326, 09414305326

SCALE -1:100	NORTH

KAPIL MISTRY
Architect (B.Arch., M.C.A)
CA/2008/41822

OWNER	ARCHITECT

केवल आवासीय
उपयोग हेतु स्वीकृत

Applicant's Copy

SHEET NO. 04

SOUTH EAST SIDE ELEVATION

NORTH WEST SIDE ELEVATION

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण - पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt......19/06/2015.............

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

शारीरिक रूप से व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावें।

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्रं. 306
दि. 27/2/15 के द्वारा जारी किये गये।

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

28/07/2015
अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

DRAWING TITLE	ELEVATIONS
ADDRESS :-	PROPOSED APARTMENT AT PLOT NO D-100 A, MEERA MARG, BANIPARK, JAIPUR, RAJASTHAN
ARCHITECT:-	KAPPRIS INNOVATION VAISHALI NAGAR, JAIPUR MOB- 09649905326, 09414305326
SCALE -1:100	NORTH
OWNER	ARCHITECT KAPIL MISTRY Architect (B.Arch., M.C.A.) CA/2008/41822

केवल ... [illegible] हेतु स्वीकृत

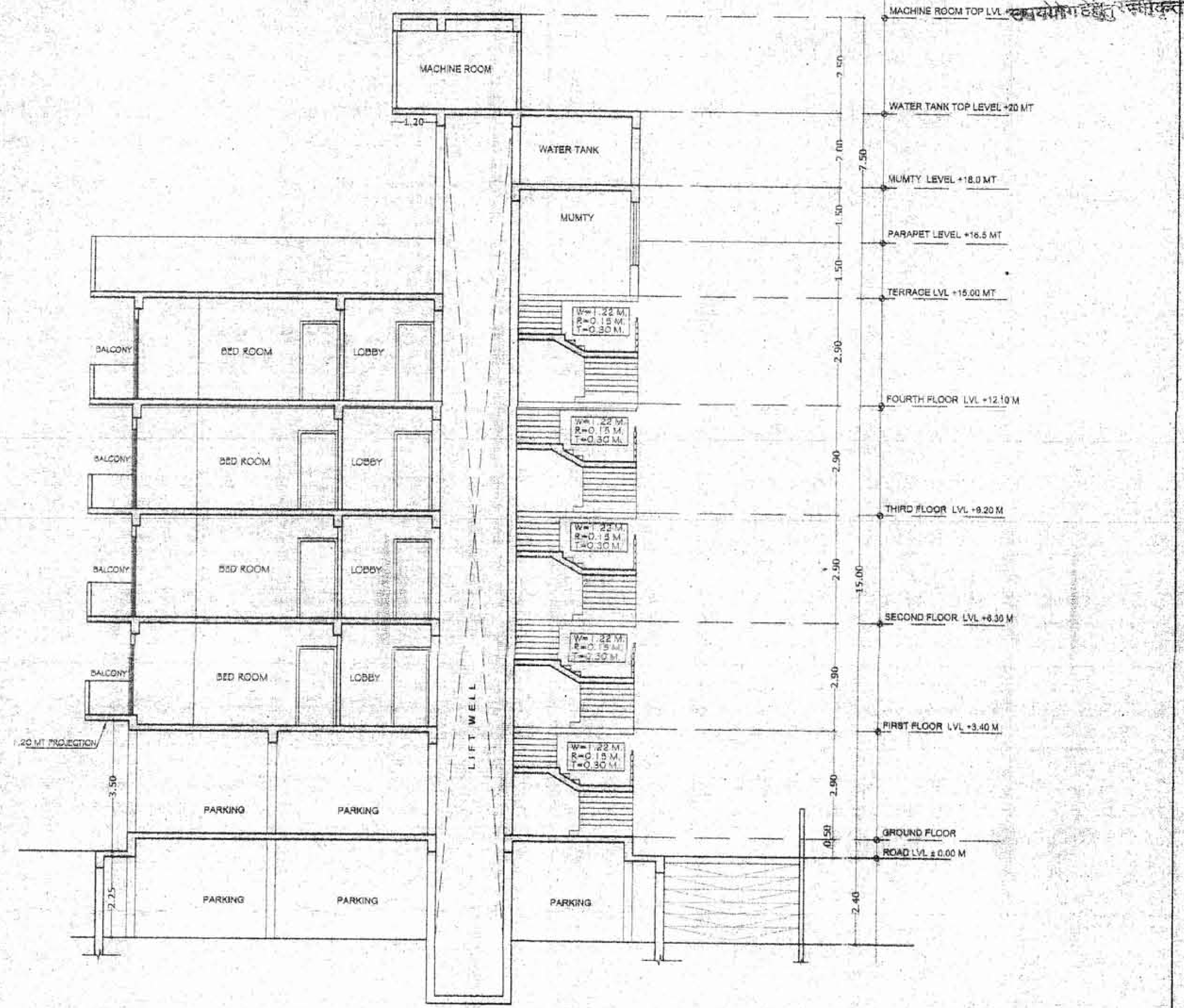

SECTION - A-A

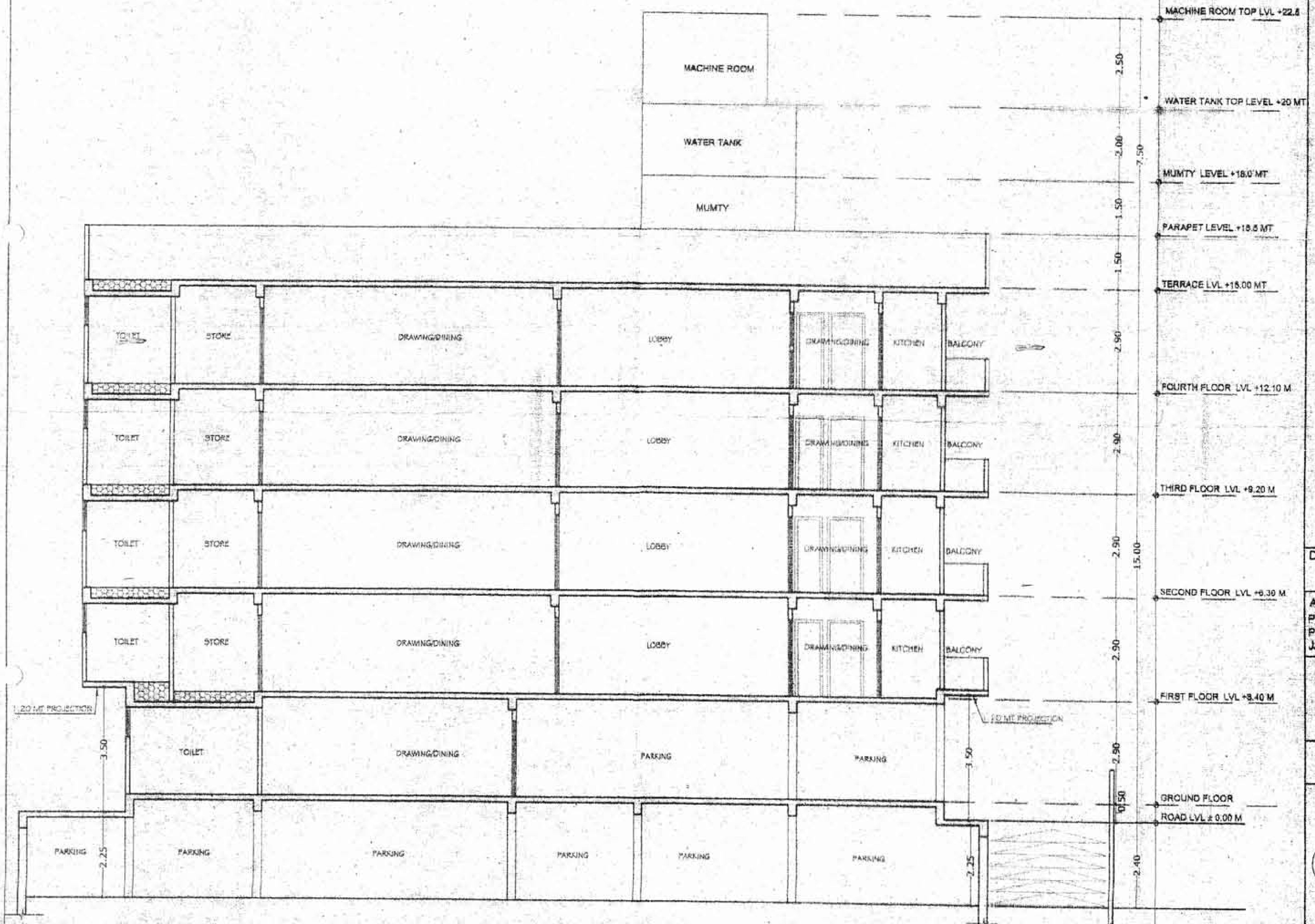

SECTION - B-B

Applicant's Copy

SHEET NO. 05

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाँति प्रश्नगत भूमि / भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण - पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO 3 [illegible] YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt........19/06/2015..........

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

विद्युत सेवा, [illegible] एवं [illegible] जल निकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड [illegible] के उपबंधों के अनुसार होगी।

शारीरिक रूप से व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्र. 306

दि. 27/7/15 के द्वारा जारी किये गये।

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

22/07/2015
अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

आयुक्त (आयोजना) व
सचिव (भ. आ. समिति)
जयपुर नगर निगम
जयपुर

DRAWING TITLE

SECTIONS

ADDRESS :-
PROPOSED APARTMENT AT
PLOT NO D-100 A, MEERA MARG, BANIPARK,
JAIPUR, RAJASTHAN

ARCHITECT:-

KAPPRIS INNOVATION
VAISHALI NAGAR, JAIPUR
MOB- 09649906326, 09414305326

SCALE -1:100

NORTH

KAPIL MISTRY
Architect (B.Arch., M.C.A.)
CA/2008/41822

OWNER

ARCHITECT